

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 17/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

नीरज शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति ब्राहमण उम्र 21 वर्ष मालिक एवं विक्रेता शर्मा चाट कार्नर, स्टेशन रोड बजरिया, जिला भरतपुर निवासी रणजीत नगर मोड जहारवीर बाबा का मंदिर, जिला भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,
2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित:—

1. वकील गैरसायल
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 20.12.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 22.11.2019 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल मय वकील दिनांक 20.12.2019 को उपस्थिति हुये। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 20.12.2019 को गैरसायल व वकील गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 05.07.2019 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल की दुकान शर्मा चाट कार्नर स्टेशन रोड बजरिया भरतपुर का निरीक्षण

किया गया। वक्त निरीक्षण शर्मा चाट कार्नर पर 8 किग्रा0 सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 किग्रा0 सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले 40/-रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस-370/एक्ट/2019/535 दिनांक 19.07.2019 द्वारा उक्त सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल व वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योंकि प्रार्थी काफी समय से छोले का निर्माण करके विक्रय करता रहा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप गैरसायल स्वीकार करता है। जिसका गैरसायल द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैर सायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रुख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 05.07.2019 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2019 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा सोयाबीन रिफाइन्ड में निर्मित छोले का निर्माण कर विक्रय काफी समय से करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 8 किग्रा0 सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले ही वक्त जांच संग्रहित पाये गये है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है क्योंकि उसके पास मात्र 8 किग्रा0 सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाया गया है

तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 2 किग्रा0 सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले 40/- रूपये में कय किया गया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 8 किग्रा0 सोयाबीन रिफाइन्ड से निर्मित छोले की कीमत मात्र 320/- रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 5000/- रूपये (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 20.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर